

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No.2021/3

(Bank Case)

Manual no- 8/2021

"मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय-मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि-682018 तथा शाखा कार्यालय-यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टॉवर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़।

- प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी श्री अमर लाल मीणा (ऋणी)
पता- प्लाट नं० 378, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा, राजस्थान 324001
दुसरा पता- जिला आयुर्वेद हॉस्पिटल, कॉमर्स कॉलेज के पास, कॉमर्स कॉलेज रोड, तलवंडी, कोटा राजस्थान 324005
तीसरा पता- प्लॉट नं. बी 88, वैशाली नगर, ग्राम कन्सुआ, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान
2. श्री महावीर प्रसाद मीणा पुत्र श्री अमर लाल मीणा (सहऋणी)
पता- प्लाट नं० 378, सुभाष नगर द्वितीय, कोटा, राजस्थान 324001
दुसरा पता- प्लॉट नं. बी 88, वैशाली नगर, ग्राम कन्सुआ, तहसील लाडपुरा, कोटा, राजस्थान
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 27.01.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी "मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय-मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि-682018 तथा शाखा कार्यालय-यूनिट नम्बर 401 से 404, चौथी मंजिल, लुहाडिया टॉवर, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 15.02.2017 को 12,10,574/- (अक्षरे:बारह लाख दस हजार पाच सौ चोहतर रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति आवासीय प्लाट नम्बर बी-88 का उत्तरी हिस्सा, योजना वैशाली नगर,ग्राम- कन्सुआ, तहसील- लाडपुरा, जिला- कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.3.2017 से अप्रार्थी श्रीमति सुमित्रा मीणा पत्नी श्री अमर लाल के नाम से है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- भू-भाग संख्या बी-87, दक्षिण में- शेष हिस्सा भूभाग संख्या बी-088 बाद में भूभाग संख्या बी-89, पूर्व में- रोड 40 फुट चौडा, पश्चिम में- भूभाग संख्या बी-101 स्थित है को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तियोग व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.11.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 11,86,199/- (अक्षरे रूपये ग्यारह लाख छियासी हजार एक सौ निनानवे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने


3-27/1
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार हैं। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण दिनांक 13.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 13.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नम्बर बी-88 का उत्तरी हिस्सा, योजना वैशाली नगर,ग्राम- कन्सुआ, तहसील- लाडपुरा, जिला- कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट हैं, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.3.2017 से अप्रार्थी श्रीमति सुमित्रा मीणा पत्नि श्री अमर लाल के नाम से है। जिसकी चारों दिशाएं उत्तर में- भू-भाग संख्या बी-87, दक्षिण में- शेष हिस्सा भूभाग संख्या बी-088 बाद में भूभाग संख्या बी-89, पूर्व में- रोड 40 फुट चौड़ा, पश्चिम में- भूभाग संख्या बी-101 स्थित है का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 27.01.2021 को सुनाया गया।


(उज्ज्वल साठीड)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा


जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)